

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाह्य न्यायालय मोहम्मदी खीरी

प्रकीर्ण वाद सं०-33 / 2026

CNR No UPLP10000445-2024

छोटे बनाम अज्ञात

मु०अ०सं०-165 / 2025

थाना-मोहम्मदी खीरी।

अन्तिम रिपोर्ट सं०-56 / 2025

दिनांक 29.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है। वादी मुकदमा को नोटिस जारी की गयी थी, परन्तु वादी मुकदमा उपस्थित नहीं है, न ही वादी की तरफ से कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी। अतः आपत्ति का अवसर समाप्त किया जाता है।

पत्रावली के परिशीलन से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उपरोक्त मामले में वादी छोटे द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 30.03.26 प्रस्तुत कर अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना सही तरीके से सम्पन्न कर अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मु०अ०सं०-165 / 2025 में प्रेषित अन्तिम आख्या सं०-56 / 2025 इस शर्त के साथ स्वीकार की जाती है। भविष्य में प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के संबंध में किसी भी जानकारी के प्राप्त होने की स्थिति में प्रकरण को परिवाद के रूप में संचालित किया जा सकेगा। पत्रावली तदनुसार निस्तारित। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रद्धा भारतीय)

(J.O Code-UP1964)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

मोहम्मदी खीरी